# भाग २

श्री ५ को सरकार

## कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताईसौं वर्षमा संसदले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

२०५५ सालको ऐन नं. १०

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपालप्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रबल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।

## आर्थिक वर्ष २०५५।५६ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : आर्थिक वर्ष २०५५।५६ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

६९४

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम : यस ऐनको नाम "विनियोजन ऐन, २०५५" रहेकोछ ।

२. आर्थिक वर्ष २०५५।५६ को निमित्त सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार : आर्थिक वर्ष २०५५।५६ को निमित्त अनुसूची –१ बमोज़िम सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अनुसूची–२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त सोही अनुसूचीको महल ४ को साधारण खर्चको र महल ५ को विकास खर्चको महल ६ मा उल्लिखित जम्मा रु. ६०,३४,८४,७४,०००।- (साठी अरब चौंतीस करोड चौरासी लाख चौहत्तर हजार) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन : (१) यो ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०५५।५६ को निमित्त अनुसूची–२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुसूची–२ को महल ३ मा उल्लेख गरिएका निकाय, मन्त्रालय तथा सचिवालयले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले


आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । विकास खर्च तर्फ विनियोजित रकम साधारण खर्च तर्फ सार्न सकिने छैन ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुदान संख्या ८६ देखि ९५ सम्म विनियोजन भएको रकम अनुदान संख्या ११ देखि ९५ सम्मको जुन जुन अनुदान संख्यामा निकासा र खर्च हुने हो सोही अनुदान संख्यामा जतिसुकै रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन बाधा पर्ने छैन ।



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

६७८

## अनुसूची-१

### नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | शीर्षकको नाम | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम •(रु. हजारमा) |
| १ | ११ | श्री ५ महाराजाधिराज, राजपरिवार तथा राजदरवार | ८३४१० |
| २ | १२ | राजपरिषद् | ६१६१ |
| ३ | १३ | संसद | ३४०६ |
| ४ | १४-३-११० | सर्वोच्च अदालत | ४९४४० |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

| | | | |
|---|---|---|---|
| ५ | १५ | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | ६५४८ |
| ६ | १६ | महालेखा परीक्षकको विभाग | ३५२०३ |
| ७ | १७ | लोक सेवा आयोग | ३६५१८ |
| ८ | १८ | निर्वाचन आयोग | १३३२६ |
| ९ | ८१ | अर्थ मन्त्रालय-आन्तरिक ऋण भुक्तानी | ४१५६००१ |
| १० | ८२ | अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय) | ३०९५२०० |
| ११ | ८३ | अर्थ मन्त्रालय-वैदेशिक ऋण भुक्तानी (द्विपक्षीय) | १८५७६५० |
| १२ | ९५-३-५४० | अर्थ मन्त्रालय विविध-दण्ड जरिवाना फिर्ता | २००० |
| | | जम्मा | ९३४४८६३ |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची–२

### दफा २ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | शीर्षकको नाम | साधारण खर्चतर्फ विनियोजित रकम (रु.हजारमा) | विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकम (रु.हजारमा) | जम्मा विनियोजित रकम (रु.हजारमा) |
| १ | १३ | संसद | १३३४६२ | ० | १३३४६२ |
| २ | १४ | अदालत | २३९३३५ | ० | २३९३३५ |
| ३ | १६ | महालेखा परीक्षकको विभाग | ० | ११६४४ | ११६४४ |
| ४ | १७ | लोक सेवा आयोग | ० | १५००० | १५००० |
| ५ | १८ | निर्वाचन आयोग | ४७९०० | ० | ४७९०० |
| ६ | १९ | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय | ५००४२ | ० | ५००४२ |
| ७ | २० | न्याय परिषद् | १६९३ | ० | १६९३ |



मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

695

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ८ | २५ | प्रधानमन्त्रीको कार्यालय | ८०४० | ० | ८०४० |
| ९ | २६ | उप-प्रधानमन्त्रीको कार्यालय | २८९५ | ० | २८९५ |
| १० | ३० | मन्त्रिपरिषद् | ३१९६६ | ० | ३१९६६ |
| ११ | ३५ | अर्थ मन्त्रालय | ३०२९४० | ४७३५६१ | ७७६५०१ |
| १२ | ३६ | आपूर्ति मन्त्रालय | ४०५६ | ३०३५०० | ३०७५५६ |
| १३ | ३७ | आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय | १०१९३२ | १७७१४७८ | १८७३४१० |
| १४ | ३८ | उद्योग मन्त्रालय | २३२८०५ | २८०१७६ | ५१२९८१ |
| १५ | ३९ | कानून तथा न्याय मन्त्रालय | १८४६३ | ० | १८४६३ |
| १६ | ४० | कृषि मन्त्रालय | १०४२०४ | २२४६७६४ | २३५०९६८ |
| १७ | ४५ | गृह मन्त्रालय | ३३४१६३७ | ४५०० | ३३४६१३७ |
| १८ | ४६ | जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय | ५८१० | ३२८१० | ३८६२० |
| १९ | ४७ | जलस्रोत मन्त्रालय | १३४०२३ | ३५५२७८४ | ३६८६८०७ |
| २० | ४८ | निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय | १८३६२७ | ५१४४५२६ | ५३२८१५३ |
| २१ | ४९ | पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय | १०८५३३ | १५२२७६६ | १६३१२९९ |
| २२ | ५० | परराष्ट्र मन्त्रालय | ७८१३३३ | ० | ७८१३३३ |



आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

620

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २३ | ५५ | भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय | २४७१४७ | २५७२७५ | ५०४४२२ |
| २४ | ५६ | महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय | ५१३८६ | १८९७२ | ७०३५८ |
| २५ | ५७ | युवा, खेलकूद तथा संस्कृति मन्त्रालय | १०१०९७ | ८९०३४० | ९९१४३७ |
| २६ | ५८ | रक्षा मन्त्रालय | ३०३०३४३ | ० | ३०३०३४३ |
| २७ | ५९ | वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय | ८१२७०९ | ५५१८१३ | १३६४५२२ |
| २८ | ६० | वाणिज्य मन्त्रालय | २११७७ | ७२८३५० | ७४९५२७ |
| २९ | ६१ | विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | १२०६४ | ४७२६५३ | ४८४७१७ |
| ३० | ६५ | शिक्षा मन्त्रालय | ६४०३३४० | २३०१०३३ | ८७०४३७३ |
| ३१ | ६६ | सामान्य प्रशासन मन्त्रालय | ३६५८३ | ३५०० | ४००८३ |
| ३२ | ६७ | सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय | ६६७९४५ | ८६५८१ | ७५४५२६ |
| ३३ | ६८ | संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय | ४६९६ | ६००० | १०६९६ |
| ३४ | ६९ | स्थानीय विकास मन्त्रालय | ३४०८० | ४२४२९७५ | ४२७७०५५ |
| ३५ | ७० | स्वास्थ्य मन्त्रालय | १२६८२०७ | २६३९०१६ | ३९०७२२३ |
| ३६ | ७१ | श्रम मन्त्रालय | १३८५२ | ५८७१९ | ७२५७१ |
| ३७ | ७२ | राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय | ५३७३९ | २८३५२ | ८२०९१ |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३८ | ८६ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी वैदेशिक संस्थाहरु | २५४०० | ० | २५४०० |
| ३९ | ८७ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी सार्वजनिक संस्थान | ० | १७०४२६५ | १७०४२६५ |
| ४० | ८८ | अर्थ मन्त्रालय - लगानी अन्य | ० | ९६००० | ९६००० |
| ४१ | ९५ | अर्थ मन्त्रालय - विविध | ३९८८८६० | २९५८०० | ४२८४६६० |
| | | जम्मा | २२६०७३२१ | ३७७४११५३ | ६०३४८४७४ |

लालमोहर सदर मितिः- २०५५।६।२८।४

आज्ञाले,

तीर्थमान शाक्य

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार